आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर व गई कार्रवाई व बारे में टिप्पण तारीख सहित

06/02/2019

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -12/2015-16

उत्पल दास एवं अन्य **बनाम** अबीन हेम्ब्रम एवं अन्य।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-02/2008-09 में दिनांक-12.10.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के वाद R.E. Case No-02/2008-09 में दिनांक-12.10.2013 को पारित आदेश द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-230/1977-78 में दिनांक-07.03.1998 के पारित आदेश के आलोक में विपक्षीगण अर्थात सुशील चन्द्र दास को उच्छेद करते हुए सुफल हेम्ब्रम के हाल के वारसानों को वापस किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-230/1977-78 में दिनांक-07.03.1989 को पारित आदेशानुसार विषयगत जमीन सुफल हेम्ब्रम का और उन्होंने अपनी जमीन जो उन्हे बदलेन में प्राप्त हुआ है, हलधर दास के साथ नहीं किया है एवं विषयगत जमीन का बदलैन का कोई अधिकार मूल खतियानी रैयत को बारीशान को नहीं था।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-बोदमा, के दाग सं0-1498, रकवा-54 डी0 गत सर्वे सेटेलमेंट खतियान के अनुसार महानन्द दास एवं सुरेन्द्र दास के नाम पर दर्ज है। महानन्द दास और के 27 डी0 करके प्रत्येक के हिस्से में है। खतियानी रैयत महानन्द दास एवं सुरेन्द्र दास द्वारा दाग सं0-1498 के अंश रकवा से 27 डी0 करके जमीन सुफल हेम्ब्रम (अबीन हेम्ब्रम के दादा) एवं पाँचु मुची से बदलनामा किया गया। अपीलकर्त्ता के दादा मुकुन्द मुची @ दास द्वारा महानन्द दास (सुरेन्द्र दास एवं सुफल हेम्ब्रम एवं पाँचु मुची) के विरूद्ध Rev. Misc. Case No-112/1946-47 दायर किया गया उनके बदलैन को अवैधानिक कहा गया। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा एवं कानूनगो के जाँच प्रतिवेदन एवं तथ्य के सुनवाई के पश्चात पर्यवेक्षण किया गया कि यह अवैधानिक परिवर्तन (बदलनामा) है लेकिन उच्छेद करना कठिन होने के कारण इस विशेष वाद के अंतर्गत रखा गया। जो भी हो उत्तरवादी सुफल हेम्ब्रम द्वारा कभी भी विवादित बदलनामा जमीन पर दखल नहीं किया गया। अपीलकर्त्ता के दादा हलधर दास एवं बंकिम चन्द्र दास दोनो पिता- महानन्द दास के साथ बदलैन में अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev. Misc. Case No-230/1977-78 में दिनांक-07.03.1989 को पारित आदेश जो कि कानूनगो द्वारा अनुशांसित है, द्वारा प्राप्त है। उत्तरवादी अबीन हेम्ब्रम एवं रबिलाल हेम्ब्रम के क्रमशः पिता-स्व0 छोटो हेम्ब्रम एवं स्व0 कान्दन हेम्ब्रम द्वारा भी इस बदलैन को स्वीकार किया गया एवं कभी भी आपत्ति नहीं किया गया। हलधर दास एवं उनके पुत्र सुशील चन्द्र दास द्वारा भी प्रश्नगत जमीन पर चहरदिवारी के साथ आवासीय मकान बनाया गया है। अपीलकर्त्ता के साथ पाँचु मुची @ दास के उत्तराधिकारी बासुदेव दास एवं अन्य के बीच बदलैन जमीन पर आपसी विवाद या जिस पर अपीलकर्त्ता के पिता सुशील चन्द्र दास व्यवहार न्यायालय में T.S. Case No-28/2007 दायर किया गया। इस वाद क्रोधित होकर उनके द्वारा छोट हेम्ब्रम एवं कान्दन हेम्ब्रम के पुत्र क्रमशः अबीन हेम्ब्रम रबिलाल हेम्ब्रम द्वारा R.E. Case No-02/2008-09 दायर किया गया। अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा भी अपने कारण पृच्छा में Title Suit No-28/2007 वाद R.E. Case No-02/2008-09 के पूर्व में उल्लेखित किया गया है, जो कि व्यवहार न्यायालय में लंबित था एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 23 के तहत बदलैन किया गया है। यह भी उल्लेखिनीय है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के लागु होने के पूर्व 1946-47 में बदलैन का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार उनके बीच पूर्व की गई बदलनामा पूर्ण रूपेण विधिसम्मत नहीं है। व्यवहार न्यायालय में प्रश्नगत जमीन के संबंध में Title Suit के लंबित रहते अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा उच्छेदी का आदेश पारित किया जाना गलत है। यद्यपि प्रश्नगत जमीन कृषि योग्य भूमि नहीं, एवं यह भूमि आदिवासी का भी नहीं है। अतः इस भूमि पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत भी उच्छेद नहीं किया जा सकता। माननीय सिविल जज (सिनियर डीविजन)-I द्वारा T.S. Case No-28/2007 में सभी तथ्यों एवं खतियानी रैयतो से किये गये अन्य लोगो के द्वारा लिये गये जमीन के संबंध में उनलोगो

परीक्षण किया गया। उत्तरवादी अबीन हेम्ब्रम द्वारा भी स्वीकार किया गया कि प्रश्नगत जमीन पर अपीलकर्त्ता सुशील चन्द्र दास (अपीलकर्त्ता के पिता) का मकान सह चहरदिवारी के साथ लंबे समय से वसोवास किया जा रहा है। बासुदेव दास द्वारा उक्त मामला में सहयोग किया जा रहा है। वाद के लंबे अवधि चलने के पश्चात वाद के डिक्री अपीलकर्त्ता उत्पल दास के पक्ष में प्राप्त हुई। वाद के चलते R.E. Case No का प्रारंभ किया गया। प्रश्नगत भूमि को महानन्द दास एवं सुरेन्द्र दास के साथ ही साथ उनके उत्तराधिकारी एवं अबीन हेम्ब्रम द्वारा परिवर्तन (बदलैन) के बाद जमीन का वापसी का मामला है, यह उच्छेदी का मामला नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा अपने ही पारित आदेश संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत धारा 60 के तहत पारित किया गया आदेश को Revision नहीं किया जा सकता। सिविल जज सिनियर डिवीजन-1 जामताड़ा Exe. Case No-19/17 में अमीन प्रतिवेदन में उल्लेख है कि उत्पल दास बनाम बासुदेव दास एवं अन्य में अमीन द्वारा उत्पल दास एवं अन्य को प्रश्नगत दाग सं0-1498/A/2 पर बाँस गाड़ कर दखल दिया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का पुनः कहना है कि सिविल जज सीनियर डीवीजन प्रथम जामताड़ा के वाद Title Suit No-28/2007 उत्पल दास बनाम बासुदेव दास एवं अन्य में दिनांक-04.03.2016 को पारित आदेश में अंकित है "It is hareby declared that the plaintiff got right, title, interest and possession over the suit land/properties and the defendants may not make any interference in possession of the plaintiffs. the suit is declared on contest without cost." उक्त सिविल जज सीनियर डीवीजन प्रथम जामताड़ा के वाद Title Suit No-28/2007 उत्पल दास बनाम बासुदेव दास एवं अन्य में दिनांक-04.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जामताड़ा में दायर वाद Title Appeal No-21/2016 बासुदेव दास एवं अन्य बनाम उत्पल दास एवं अन्य में दिनांक-03.10.2016 में पारित आदेश के Para-14 में अंकित है "Now applying the principal laid down by Hon'ble Supreme court the fact of this case the claim alleged exchange in favor of Sufal Hembram and Panchan Mochi in the year 1946 appear to be illegal and cannot be recognized under Santhal Parganas Tendency Law expiatory at Material time.

उत्तरवादी अबीन हेम्ब्रम एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-बोदमा के जमाबंदी रैयत है। वर्त्तमान अपीलकर्त्ता के पिता स्व0 सुशील चन्द्र दास के विरूद्ध मौजा-बोदमा के दाग सं0-1498A के रकवा-20 डी0 से उच्छेद हेतु अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के वाद R.E. Case No-02/2008-09 दायर किया गया। मूलतः गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-बोदमा के दाग सं0-1498 के खतियानी रैयत सुरेन्द्र दास एवं महेन्द्र दास के नाम पर दर्ज है। सुरेन्द्र दास एवं महानन्द दास द्वारा प्रश्नगत दाग सं0-1498 का बदलनामा द्वारा सुफल हेम्ब्रम एवं पाँचु मुची प्रत्येक को 20 डी0 जमीन प्राप्त हुआ एवं उक्त जमीन पर वे शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है। वर्त्तमान अपीलकर्त्ता के परदादा मुकुन्द मुची ने अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में दायर वाद Rev. Misc. Case No-112/1946-47 में मौजा-बोदमा के दाग सं0-1498 से बाहर की जमीन को अवैध तरीके से राधागोबिंद दास एवं अन्य खिलाफ जिसमें वर्त्तमान उत्तरवादी के दादा सुफल हेम्ब्रम भी शामिल थे। जिसमें बदलनामा को अवैध होने से इन्कार किया गया एवं बदलनामा को वास्तविक एवं पारस्पारिक लाभ के लिए माना गया। वर्त्तमान उत्तरवादियों के दादा सुफल हेम्ब्रम ने दाग सं0-1498 में से 20 डी0 भूमि के सीमांकन के लिये दाखिल किये गये आवेदन को सम्पूष्ट किया गया। तत्पश्चात उक्त दाग पर सुफल हेम्ब्रम का दो पुत्र छोटो हेम्ब्रम एवं कांदन हेम्ब्रम शांतिपूर्वक दखल कब्जा में रहे। छोटो हेम्ब्रम एवं कांदन हेम्ब्रम के शराबी होने के कारण सुशील चन्द्र दास द्वारा पैसा के बदले में धोखाधड़ी तरीके से दाग सं0 1498A के 20 डी0 जमीन को प्राप्त कर लिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में दायर वाद Rev. Misc. Case No-230/1977-78 में दिनांक-07.03.1981 को पारित आदेश द्वारा मौजा-बोदमा के दाग सं0-1498 के प्रश्नगत जमीन को हलधर दास के द्वारा मूल मालिक से बदलनामा पर प्राप्त किया गया जो कि कानून की नजर में अमान्य था। क्योंकि वाद Rev. Misc. Case No-112/1946-47 के द्वारा प्रश्नगत जमीन पर पूर्व में सुफल हेम्ब्रम के पिता एवं मूल मालिक के बीच बदलनामा हो चुका था। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-02/2008-09 में दिनांक-12.10.2013 को पारित आदेश द्वारा सुशील चन्द्र दास, पिता- हलधर दास को उच्छेद किया जाना न्यायसंगत है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। सिविल जज सीनियर डीवीजन प्रथम जामताड़ा के वाद Title Suit No-28/2007 उत्पल दास बनाम बासुदेव दास एवं अन्य में दिनांक-04.03.2016 को पारित

आदेश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जामताड़ा में दायर वाद Title Appeal No-21/2016 बासुदेव दास एवं अन्य बनाम उत्पल दास एवं अन्य में दिनांक-03.10.2016 में पारित आदेश से स्पष्ट है कि सुफल हेम्ब्रम एवं पंचानन मुची के बीच वर्ष 1946 को प्रश्नगत जमीन पर किया गया बदलनामा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित धारा के अतंर्गत मान्यता नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-02/2008-09 में दिनांक-12.10.2013 को पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-02/2008-09 में दिनांक-12.10.2013 को पारित आदेश निरस्त (Set Aside) किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
21/2/24

Seen
21/2/24

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.07.03 14:47:02 +05:30
Location: 192.168.43.106